न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

पीठासीन अधिकारी — रामकिशोर मीणा (RAS)

प्रकरण सं० - 62/19 — दायर दि० 19-7-19

प्रेमवती पुत्री जलसिंह पत्नि स्व० श्री देशराज सिंह जाति जाट निवासी - छौकरवाड़ा कलां हाल नि० कूम्हा तह० भरतपुर

——— वादिनी

बनाम

I. अमृतसिंह
II रनवीर
III ओमप्रकाश
} जाति जाट निवासी छौकरवाड़ा कलां तह० मुण्डावर

iv विमला पुत्री जलसिंह पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी छौकरवाड़ा कलां हाल निवासी बाबू का नगला तह० मुण्डावर

v उर्मिला पुत्री जलसिंह पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी छौकरवाड़ा कलां हाल निवासी गादौली तह० नदबई

vi जगवीरी पुत्री जलसिंह पत्नि वीरी सिंह जाति जाट निवासी ग्राम छौकरवाड़ा कलां हाल नि० गादौली तह० नदबई

vii राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर

——— प्रतिवादीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता - श्री चन्द्रशेखर तिवारी - वादी
- श्री छोटेलाल मीना अपीलार्थी 3 से 6
- श्री आजाद बाबू अपीलार्थी 1,2

निर्णय दिनांक :- 16-09-2020

वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ० ख० नं० 1298 रकबा 0.2100, 1299 रकबा 0.1500, 1343 रकबा 0.3100, 1345 रकबा 0.2200, 1373 रकबा 0.2800, 1396 रकबा 0.9800, 1548 रकबा 0.1600, 1711 रकबा 0.0100, 1712 रकबा 0.4600, 1713 रकबा 0.1700, 1749 रकबा 0.2100, 1781 रकबा 0.4000, किस्म 12 कुल रकबा 3.5500 हैक्टेयर वाके ग्राम छौकरवाड़ा कलां तहसील मुण्डावर में स्थित है, जिसमें वादिनी व प्रतिवादीगण सं० 1 लगा० 6 वाहिस्सा बराबर अर्थात 1/7 हिस्से के काबिज काश्तकार एवं खातेदार हैं तथा शान्ति पूर्वक आराजी के हिस्से पर काबिज रहकर राज लगान राज खजाने को अदा करते चले आ रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (भरतपुर) राज.

——— लगातार - 2

विवादित आराजीयात वादिनी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा० 6 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी है। जिसका अभी तक वादिनी व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का कानूनी विभाजन बाई मीटस एण्ड बाऊण्ड नहीं हुआ है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर तथा चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादिनी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए आराजी में निहित हिस्से का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त नहीं होने देते हैं। एवं वाद ग्रस्त आराजी में से अच्छी-अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बय व मुन्तकिल करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 लगा० 6 को रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत (status que) बनाये रखने बाबत वादिनी द्वारा निवेदन किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज ~~स्वीकार~~ किया जाकर प्रतिवादीगण को तल्बी जरिये रजिस्टर्ड A.D. जारी की गई नोटिस की तारीख मे अप्रार्थीगण सं. 3 लगा० 6 की ओर से श्री छोटेलाल मीना Adv. व 1 व 2 अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद बाबू उपस्थित हुए उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

हमने उभय अधिवक्तागण की दलीलों व बहस पर मनन किया व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में फरीकेन के हकों निर्धारण दावा में साक्ष्य सबूतों की परीक्षण के पश्चात हो सकेगा चूंकि भूमि का बाई मीटस एण्ड बाऊण्ड विभाजन नहीं हुआ सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा है माना जाना वाजिब है ऐसी सूरत में ~~आवश्यक है कि~~ अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े व कानूनी पेचीदगियां पैदा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को ना फैसला दावा आराजी मुतनाजा

1298	1299	1343	1345	1373	1396	1548	1711	1712	1713	1749	1781
0.2100,	0.1400,	0.3100,	0.2200,	0.2800,	0.9800,	0.1600,	0.0100,	0.4600,	0.1700,	0.2100,	0.4000,

जिला 12 कुल रकबा 3.5500 हेक्टर बके ग्राम धोकर बड़ा कला तह० मुलाकात की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति (status que) बनाये रखें जाने अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

रामकिशोर मीणा
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (भीलवाड़ा) राज.